

पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

CVs Module 04 ग्राम विकास की योजना एवं सामाजिक अंकेक्षण
(परिवर्तन प्रेरकों हेतु)

महिला बचत समूहों और ग्रामीण

संगठनों की ग्राम सभा में भागीदारी



टी.आर.आई.एफ. कार्यक्रम

समय	विषय	विषयवस्तु	पद्धति	अपेक्षित परिणाम
00.30	● परिचय	● आपसी परिचय	● सहभागी पद्धति से परिचय	● प्रशिक्षण के वातावरण का निर्माण
01.00	● ग्राम पंचायत विकास की योजना क्या, क्यों और कैसे	<ul style="list-style-type: none"> ● सूक्ष्म नियोजना क्या है। ● सूक्ष्म स्तरीय नियोजन क्यों ● नियोजन कैसे ● हमारी जरूरते क्या है ? ● सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के चरण 	<ul style="list-style-type: none"> ● संवाद ● खुली चर्चा ● सवाल जबाब 	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रतिभागीयों को विकास योजना बनाने की प्रक्रिया पर समझ बनेगी
01.00	● आधार भूत जानकारी के अभ्यास	<ul style="list-style-type: none"> ● लोगों की भागीदारी से नजरी नवशा बनाना और जरूरतों को चिह्नित करना। ● सामाजिक मानन्त्रि ● संसाधन मानचित्र ● क्षेत्र भ्रमण ● समस्याओं का प्राथमिकीकरण ● समय निर्धारण गतिविधि 	<ul style="list-style-type: none"> ● चार्ट पेपर या कार्डशीट ● स्कैच पेन या बोल्ड मार्कर पेन। ● नजरी नवशा बनाने के लिए राख या चूना। ● अभ्यास 	<ul style="list-style-type: none"> ● योजना बनाने में कैसे समस्याओं का प्रथमिकीकरण किया जाता है इस पर समझ बनेगी साथ ही समय निर्धारण का महात्व समझ सकेगे।
01.00	● सामाजिक अंकेक्षण क्या, क्यों और कैसे	<ul style="list-style-type: none"> ● सामाजिक अंकेक्षण क्या ? ● सामाजिक अंकेक्षण क्यों ? ● सामाजिक अंकेक्षण से फायदे ● वित्तीय एवं सामाजिक अंकेक्षण में अंतर 	<ul style="list-style-type: none"> ● संवाद ● खुली चर्चा ● सवाल जबाब 	<ul style="list-style-type: none"> ● सामाजिक अंकेक्षण के महात्व पर प्रतिभागीयों की समझ बनेगी।

परिचय

परिचय एक महात्पूर्ण प्रक्रिया है किसी प्रशिक्षण के वातावरण निर्माण की इस लिए इसे सावधानी पूर्व किया जाये। परिचय के माध्यम से प्रशिक्षण पर प्रवेश करने में मदद मिलती है। यदि प्रतिभागियों को एकत्र होने में 1–2 घंटे लगने की संभावना हो तो विस्तृत परिचय की विधि चुने जिसमें परियच के साथ साथ विषय के संबंध में भी कुछ चर्चा हो सकती है। जिससे की प्रतिभागियों की विषय पर समझ ज्ञान रुचि एवं अनुभवों का आंकलन किया जा सके और आगे आने वाले सत्र इस जानकारी पर आधारित हो सके। प्रयास करना चाहिए कि परिचय रुचिकर हो और प्रतिभागियों के अनुकूल हो। नीचे कुछ परिचय विधि दी हुई है लेकिन आप सोच समझकर कोई अन्य विधि भी प्रयोग कर सकते हैं।

परिचय विधि नंबर-1

सामान्यतः देखा गया है कि प्रशिक्षण या बैठकों में सहभागियों को इकट्ठा होने में 30–40 मिनिट का समय लग जाता है। यदि ऐसी स्थिति हो तो सहजकर्ता यह करें –

सहभागियों का पंजीयन करते जाएं और विषम पंजीयन क्रमांक (1,3,5,...) वाले सहभागियों से निम्न प्रश्न पूछते जायें –

कोई एक ऐसा काम जो पंचायत कर पायी?

इसी प्रकार सम पंजीयन क्रमांक (2,4,6,...) वाले सहभागियों से निम्न प्रश्न पूछते जायें –

कोई एक ऐसा काम जो पंचायत नहीं कर पायी?

सहजकर्ता सहभागियों द्वारा दिये गये जवाबों की सूची तैयार करते जायें। इस प्रक्रिया में सहजकर्ता एक-एक कर सभी सहभागियों से परिचित हो पाएंगे, समय का सदुपयोग हो सकेगा तथा पंचायत द्वारा कराए गए और नहीं कराए गये कामों की सूची भी तैयार हो जाएगी। सहजकर्ता, सहभागियों के साथ चर्चा कर उन्हें यह जानने और अहसास कराने का प्रयास करें कि जो काम हो पाये उनके क्या कारण थे तथा जो नहीं हो पाये उनके क्या कारण हैं।

परिचय विधि नंबर-2

यदि सभी सहभागी एक साथ आ जाएं तो सहभागियों को उनकी संख्या अनुसार छोटे-छोटे समूह में बाटें। प्रत्येक समूह को परिचय विधि नं0–1 में दिये गये दोनों प्रश्नों के जवाब में पंचायत द्वारा कराए गए और नहीं कराए गये काम बताएगा। सहजकर्ता, सहभागियों द्वारा दी गई जानकारियों को सूचीबद्ध कर दोनों प्रकार कामों के कारणों का सहभागी तरीके से विश्लेषण कराएं।

परिचय विधि नंबर-3

जोडे में परिचय कराना जिसमें अपने साथी का परिचय देना है।परिचय के साथ आप किसी भी तरह के उचित प्रश्न जोड़ सकते हैं जैसे—परिवार के बारे में जानकारी, मोहल्ले की परेशानियों के बारे में, दिनचर्या के बारे में इससे लोगों को सहज बनाने में मदद मिलती है।

ग्राम पंचायत विकास योजना क्या, क्यों और कैसे –

सूक्ष्मस्तरीय नियोजन क्या है ?

नियोजन शब्द का अर्थ है योजना बनाना, अर्थात् किसी काम को करने से पहले उसके सभी पहलुओं को ठीक से सोच समझ लेना। जैसे – हम जिस काम को कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं? उसको करने से क्या फायदा होगा? उसमें कितना खर्च आयेगा? और आने वाले खर्च को कहां से जुटाया जाएगा? कितना समय लगेगा? इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजना आवश्यक है। आवश्यक तो यह भी है कि काम की शुरुआत से पहले कौन–कौन लोग क्या–क्या काम करेंगे? कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में होगा? काम शुरू करने से पहले इन सब बातों पर पहले से विचार कर लेना ही योजना बनाना है। नियोजन में जरूरी है कि व्यक्ति या समूह पहले खूब सोच–विचार करे, काम करने के नये–नये विकल्पों पर विचार करे, हर विकल्प की अच्छाइयों एवं बुराइयों को समझे ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो सके।

जब हम वार्ड, ग्राम या पंचायत स्तर पर छोटी–छोटी योजनायें बनाते हैं तो इसे सूक्ष्मस्तरीय नियोजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सूक्ष्मस्तरीय नियोजन में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर लोगों की सहभागिता से योजना बनायी जाती है। इसमें समुदाय स्थानीय परिस्थितियों का विश्लेषण कर योजना का निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया को तय करता है। इस प्रकार का नियोजन सामूहिक निर्णयों को प्रोत्साहन मिलता है और समस्याओं का सामूहिक का निदान भी होता है। लोगों को नयी–नयी सुविधाएं प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ती हैं जिससे वे अपने दायित्यों के प्रति अधिक सजगता और संवेदनशीलता दिखाते हैं।

इस प्रक्रिया की खास बात यह कि सभी योजनायें गांव की आवश्यकताओं व उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बनेंगी। अलग–अलग घरों में, गांवों में, पंचायतों में संसाधनों की उपलब्धता भी अलग–अलग होती है, कहीं मिट्टी अच्छी तो कहीं खराब, कहीं पानी की कमी, तो कहीं पानी की पर्याप्त उपलब्धता, कहीं ग्राम के सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था का अभाव तो कहीं पर्याप्त व्यवस्था, कहीं नाले नदी होते हैं, कहीं पर नहीं होते। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लोगों की आवश्यकतायें भी अलग–अलग

होती हैं, जैसे कहीं मिट्टी के कटाव को रोकने की आवश्यकता हो सकती है तो कहीं बहते हुए पानी को रोकने की। कहीं पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है तो कहीं दस्त-हैजा जैसी महामारियों के रोकथाम की। उपलब्ध संसाधनों द्वारा लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, इसके लिये योजना बनाना आवश्यक हो जाता है। उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर सभी के सहयोग से कार्यों को तय करना जरूरी होता है। नियोजन में यह जरूरी है कि व्यक्ति या समूह पहले खूब सोच-विचार करे, काम करने के विभिन्न विकल्पों की तलाश करे। हर एक पक्ष की अच्छाईयों-बुराईयों का विश्लेषण कर निर्णय ले ताकि क्रियान्वयन के समय कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े।

खेती में कब क्या करना है इस बात को हमारे हर ग्रामीण अच्छे से जानते हैं। वे कभी भी समय से अपनी फसल लगाने की तैयारी से नहीं चूकते,

खरीफ की फसल के लिये क्या- क्या करना है कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड्ड, मूँग तिल, सोयाबीन, मूँगफली, रामतिल, धान जैसी फसलों की तैयारी के लिये क्या करना है, बुआई कब करना है यह बताने के लिये कोई गांव से बाहर का व्यक्ति नहीं आता। रबी में बोई जाने वाली

फसलें चना, मटर एवं गेहूं की बुआई की तैयारी हमने किसी को भी खरीफ में करते हुए नहीं देखा अर्थात् खेती का कौन सा काम कब करना है यह हर ग्रामीण जानता है।

अधिनियम की धारा 7.2 (ग.ड.) भी ग्राम सभा के वार्षिक सम्मिलित अर्थात् वित्तीय वर्ष प्रारंभ सर्वे से कम से कम तीन माह पूर्व अर्थात् दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह अथवा जनवरी के प्रारंभ में ही अगले वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक योजना व वार्षिक बजट बनाने का प्रावधान है।

कौन सी आवश्यकता की पूर्ति किस काम से होगी, इसके लिए क्या करना होगा, इस बात का निश्चय हो जाने के बाद किस काम को कब करना है इसकी बारी आती है। इसी तरह पंचायत को शासन से मिलने वाली धन राशि के लिए समय रहते प्रस्ताव तैयार करना, निर्माण आदि के काम बारिश आने से पहले पूरे हो जायें इसे ध्यान में रखकर काम की शुरुआत कराना, स्कूल खुलते ही बच्चों के दाखिले कराना। किस मौसम में कौन सी बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम के लिए पहले से तैयारी करना, किसी प्राकृतिक या मानवीय आपदा से निपटने के लिए समय रहते कारगर उपाय करना आदि।

सूक्ष्मस्तरीय नियोजन क्यों ?


यदि हमें घर से निकलने से पहले यह पता हो कि हमें कहां जाना है, क्यों जाना है, जाकर क्या करना है तो हम तय करते हैं कि पहुंचने के लिए हम किस रास्ते को चुनें, किस साधन से जायें, जो काम

करना है उसे किस तरह करें। इससे हमारे समय और साधन का सही उपयोग होता है और काम बेहतर ढंग से होता है। कुल मिलाकर सूक्ष्म नियोजन से बेहतर परिणाम आते हैं। इसी तरह यदि ग्राम सभायें अपने वार्ड/गांव/टोले/मोहल्ले/फलिया के लिए जरूरतों की प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों के अनुपात में सही तरीके से योजना बनायेंगी तो वार्ड/गांव/टोले/मोहल्ले/ फलिया का सही और बेहतर विकास हो पायेगा।

हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने परिवार, समाज, गांव या पंचायत के लिए योजनाएं बनाता है और उसी के अनुसार अपने काम करता है। चाहे वह योजना परिवार में किसी सदस्य की शादी के प्रबंध की हो, घर बनाने का काम हो या खेती की या फिर गांव के सर्वांगीण विकास की योजना बनाने का काम हो, इन सभी कार्यों में व्यक्ति अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है।

नियोजन कैसे ?

आज देखें तो हर वार्ड, गांव, पंचायतों में लोग गंदगी, पीने के पानी, स्कूल, सड़क, नाली आदि की समस्याओं से परेशान हैं। लोग यह मानते हैं कि समस्याओं का समाधान करना सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था का कानून कहता है कि गांव स्तर पर पंचायतें स्थापित हैं और ये पंचायतें वहां स्थानीय सरकार के रूप में काम कर रही हैं। अतः समस्याओं का निराकरण करना वहां के लोगों



एवं पंचायत का काम है। यदि किसी काम में, किसी पंचायत को तकनीकी ज्ञान/मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है तो वह संबंधित विभाग को पत्र लिखकर इसकी मांग कर सकती है। यदि योजनाबद्ध तरीके से मदद नहीं मांगी गई तो हो सकता है आपकी मांग पूरी न हो। इसलिये जरूरी है

कि अपनी समस्याओं का पहले सूक्ष्मनियोजन व प्राथमिकीकरण कर व्यवस्थित रूप से लिख कर भेजें तभी सुनवाई आसानी से हो सकेगी। इसलिए योजना बनाने के पूर्व हमें निम्न प्रश्नों के बारे में हमेशा संज्ञग रहना होगा –

हमारी जरूरतें क्या हैं ?

योजना निर्माण के विभिन्न चरणों में जरूरतों एवं संसाधनों की पहचान करते हुए गांव की योजना का प्रारूप बनाना, नियोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। आवश्यकताओं को पहचानने का प्रारम्भ गांव के लिये एक आदर्श गांव के विजन या स्वप्न से किया जा सकता है। विजन/स्वप्न वह दूरगामी लक्ष्य है जिसे पाने के लिए सभी गांव वाले प्रेरित हों और काम करने को तैयार हों। यदि हम अपने गांव के लोगों के साथ चर्चा करें कि वे आने वाले 5 वर्ष बाद अपने गांव को कैसा देखना चाहते हैं, तो वह गांव की सम्भावनाओं एवं आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। जैसे – एक ऐसे गांव का विकास करना जहां पर सभी किसानों को दो फसलों के लिये सिंचाई की पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो और बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था के साथ गांव में स्वच्छ वातावरण हो। यह सपना हर गांव/पंचायत का अलग-अलग हो सकता है। अधिकांशतः लोग अपने गांव को गन्दगी, पेयजल की कमी, स्कूल, सड़क, नाली आदि की समस्या से मुक्त देखना चाहते हैं। पंचायत राज व्यवस्था का कानून भी यही कहता है। अतः गांव का स्वप्न /विजन तैयार कर हम सर्व सुविधायुक्त गांव बनाने का लक्ष्य तय कर सकते हैं। गांव की खास जरूरतें जैसे पीने का पानी, बीमारियों का इलाज एवं रोकथाम, साफ स्वच्छ वातावरण, रोजगार के साधन, सबको रहने के लिए घर, निराश्रितों के लिए सहायता, स्कूल, बिजली, सड़क आदि बहुत सी जरूरतें हो सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा जरूरी काम सबसे पहले और कम जरूरी काम को सबसे बाद में रखते हैं। जरूरतों का पता करने में हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें क्या-क्या करना है। अतः आपस में मिलजुल कर वार्ड स्तर से पंचायत स्तर तक की तमाम जरूरतों की सूची बना लें।

क्या करना होगा?

इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि गांव में सड़कों और गलियों में फैली गन्दगी हटाने की जरूरत है तो इसके लिए घर का कूड़ा सही जगह पर फेंकने की जरूरत है। किसी सार्वजनिक भूमि पर कचरे के लिए गड़दा खोदना पड़ सकता है। प्रत्येक परिवार को कचरा एकत्र करने के लिये कचरा पेटी देनी पड़ सकती है। सड़क के दोनों ओर नालियां बनवानी पड़ सकती हैं। प्रतिदिन सड़क या गली की सफाई के लिये सफाई कर्मचारी नियुक्त करना पड़ सकता है।

संसाधन कहां और कितने ?

संसाधनों का सूचीकरण और अनुमानित मूल्य निकालना जरूरी है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शासन से मिलने वाली धन राशि, लोगों से मिलने वाला अनुदान, श्रमदान इत्यादि का आकलन होना चाहिये।

कैसे करना होगा?

इसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया पहले से तैयार करनी होगी। जैसे – अगर श्रमदान से कोई काम होना है तो कितने श्रम दान की आवश्यकता होगी, प्रतिदिन कितने परिवार कितने घंटे श्रमदान करेंगे तय करना होगा। यदि किसी काम को ठेके से करना है तो निविदा सूचना के लिए किस तरह विज्ञापन दिया जाएगा। जनपद और जिला स्तर के अधिकारियों से किस प्रकार अनुमति ली जाएगी। किस प्रकार के तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होगी, आदि।

कब करना होगा ?

इसमें मौसम चक्र, कृषि चक्र, स्थानीय उत्सव, संसाधनों की उपलब्धता का समय के साथ–साथ योजना की राशि खर्च करने की निर्धारित अवधि का ध्यान रखना जरूरी है। हिन्दी में एक कहावत है 'का बरसा जब कृषि सुखानी'। अर्थात् समय निकल जाने, काम निकल जाने के बाद उसके लिए नियोजन करना व्यर्थ जाएगा।

तकनीकी सहायता

निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित आवश्यक तकनीकी सहयोग तथा निर्माण यांत्रिकी सेवा अर्थात् आर ई एस के संबंधित उपयंत्री द्वारा सहयोग दिया जायेगा।

ग्राम पंचायत द्वारा योजना पर चाहे गये मार्गदर्शन पर अपना लिखित सलाह देने की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जावेगी।

कौन करेगा ?

सूक्ष्म नियोजन में जिम्मेदारियों का बंटवार करना भी बहुत जरूरी है। कौन—कौन क्रियान्वयन करेंगे, कौ—कौन गुणवत्ता की निगरानी करेंगे, कौन हिसाब—किताब रखेगा, कौन समीक्षा करेगा, इत्यादि का निर्णय सामूहिक रूप से ग्राम सभा में योजना बनाते समय किया जाना चाहिये।

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के पूर्व के चरण

ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाने के लिए हमें कुछ अग्रिम तैयारी करनी होती है। आवश्यकताओं एवं संभावनाओं के आंकलन के लिए आधारभूत जानकारियों का संकलन दो स्तर पर किया जाना चाहिये। एक समुदाय के साथ व दूसरा विभागों के साथ। इन तैयारी में निम्नलिखित चरणों में कार्य किया जाना चाहिये

1. वातावरण निर्माण
2. दस्वावेजों का संग्रहण
3. संसाधन कहाँ व कितने हैं, आय का आकलन
4. पंचायत के रिसोर्स एनवलेप का निर्धारण
5. नियोजन समिति का गठन

वातावरण निर्माण : ग्राम के मंजरा/टोला/ पारा/फलिया में पदयात्रा/रैली करना। पंचायत द्वारा मुनादी करना, दीवार लेखन एवं अन्य माध्यमों से लोगों को सूचना व जानकारी देना। महिला स्वयं सहायता समूहों, युवा मण्डलों तथा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन की आवश्यकता एवं प्रक्रिया की जानकारी देना। सामुदायिक जागरूकता, गतिशीलता और विभाग स्तरीय जानकारी हेतु शिविर का आयोजन करना।

दस्वावेजों का संग्रहण करना – पंचायत की योजना बनाने के पूर्व पंचायत सचिव के साथ मिलकर गांव स्तर की तमाम जानकारी एकत्र कर लेना चाहिये। यह जानकारियां शासन द्वारा समय –समय पर कराये गए विभिन्न सर्वेक्षण और अन्य विभागीय दस्तावेजों में दर्ज होती है। सभी जानकारी को ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्र में एकजायी कर लेना चाहिए। कम्प्यूटर का प्रचलन बढ़ने के साथ ही बहुत से आंकड़े व जानकारियां विभागीय पोर्टल तथा शासन की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। विभागीय पोर्टल तथा शासन की वेबसाइटों पर मौजूद इलेक्ट्रानिक डेटा को भी उपयोग में लाया जा सकता है। इससे समय बचेगा और यह जानकारी नियोजन में बहुत मददगार होगी।

- समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यगण आई.डी.

समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवास रत परिवारों एवं परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया है। जिसमें परिवारों एवं परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जाति, व्यवसाय, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, आमदनी के स्रोत, किसी योजना के हितग्राही, उनके बचत खाता नम्बर, बीपीएल, विकलांगता आदि डेटा उपलब्ध है। समग्र पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी हितग्राही मूलक योजनाओं के नियोजन में बेहद मददगार हो सकती है।

● आगंनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी

आगंनबाड़ी कार्यकर्ता के पास गांव में कुल परिवारों की सर्वे आधारित जानकारी होती है, इसमें प्रत्येक परिवार के सदस्यों का विवरण, 0 से 6 वर्ष के बालक-बालिकाओं की विभिन्न जानकारियों के साथ पोषण का स्तर आदि देखा जा सकता है। आंगनबाड़ी में संधारित दस्तावेजों से किशोरी बालिकाएं, शिशु, गर्भवती धात्री माताओं का विवरण, टीकारकण आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

● एएनएम/एमपीडब्ल्यू द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी

पंचायत में पदस्थ एएनएम/एमपीडब्ल्यू से गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति, बीमारियां एवं उनके उपचार से जुड़ी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

● शिक्षकों व प्रधान अध्यापक द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी—

स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या, शिक्षकों की संख्या पाठ्य पुस्तक आदि का विवरण, स्कूल में शौचालय, पीने का पानी, मध्यान्ह भोजन, शाला त्यागी बच्चों की संख्या आदि से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

● पटवारी द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी

राजस्व के क्षेत्र में पंचायत में पदस्थ पटवारी से गांव में भूमि का प्रकार, कुल रकबा, सिंचित असिंचित क्षेत्र के अलावा चरनोई भूमि, वन क्षेत्र, निस्तार की भूमि आदि की जानकारी के साथ सार्वजनिक स्थलों, वृक्ष आदि की जानकारी ली जा सकती है। साथ ही ग्राम पंचायत में आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए संसाधनों के बारे में जाना जा सकता है।

● पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी

पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का संधारण किया जाता है, इनका उपयोग योजना निर्माण के दौरान ग्राम पंचायत की क्षमता एवं कमजोरियों को जानने में किया जा सकता है। इस जानकारी में मुख्य रूप से विगत वर्षों में पंचायत की आय एवं व्यय का विवरण, बाहरी स्त्रोत से आय का विवरण, पंचायत की परिसंपत्तियों का विवरण पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को पूर्व में भेजी गई योजनाओं का विवरण, विभिन्न मांग पत्र, लाभार्थी हितग्राहियों की विभिन्न सूचियां एवं प्रतिक्षित चयनित हितग्राहियों की सूची का अवलोकन किया जा सकता है।

आय (संसाधन) का आकलन

सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं से पूरी होने वाली जरूरतें, अन्य संसाधनों जैसे – अनुदान, पंचायत की अपनी आय, श्रमदान, जन भागीदारी से पूरी होने वाली जरूरतें। जरूरतों के हिसाब से आवश्यकता सूची तैयार कर लेनी चाहिए, उदाहरण के लिए गांव में सड़क एवं नाली निर्माण शासन के द्वारा चलायी जा रही पंच परमेश्वर योजना से कराया जा सकता है। जबकि गांव में शराबबंदी या नशामुक्ति के लिए बिना किसी विशेष लागत के समुदाय आधारित अभियान चलाकर गांव को नशामुक्त गांव बनाया जा सकता है।

पंचायत के रिसोर्स एनवलेप का निर्धारण

बजट बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि पंचायत में पैसा कहां से और किस काम के लिए आता है? प्राप्त होने वाली राशि का अनुमान लगाकर अगले साल के खर्च का अनुमान लगाया जाता है। यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा लोगों के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। उनमें से कई योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है जैसे प्रधानमंत्री आवास, सामाजिक सुरक्षा पैशन, मनरेगा, आदि। इनके लिए सरकार द्वारा पंचायतों को राशि दी जाती है। अतः बजट बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि वर्ष में सरकार द्वारा पंचायतों को किन-किन योजनाओं में कितनी राशि दी जाएगी। पंचायत को प्राप्त होने वाली राशि एवं आय के बारे में भाग-1 में विस्तार से बताया गया है।

नियोजन समिति का गठन

ग्राम स्तर पर एक 'नियोजन समिति' का गठन किया जाना चाहिये। इसके लिये गांव के हर वार्ड से पंच एवं एक अन्य सक्रिय सदस्य का चयन किया जाए। यदि वार्ड पंच महिला है तो सहयोगी सदस्य पुरुष तथा यदि वार्ड पंच पुरुष है तो सहयोगी सदस्य के लिये महिला का ही चयन करें। नियोजन समिति ग्राम सभा द्वारा गठित होगी इस समिति में पंचायत के सभी स्थाई समिति के सदस्यों को स्वतः ही जोड़ा जा सकेगा और जरूरत होने पर उनकी समिति के काम व दायित्व पर अलग से विषयवार, समिति वार उन्मुखीकरण करने की जरूरत होगी ताकि नियोजन के साथ-साथ, क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जा सके। नियोजन समिति के गठन के साथ सरपंच को योजना प्रभारी व नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया जायेगा, पंचायत सचिव इस समिति का सचिव रहेगा।

कौन क्या करेगा ?

सभी काम समय पर पूरा करने के लिए काम का बटवारा और जिम्मवारी सौंपना जरूरी होता है। इसके लिए ग्राम सभा की समितियां तो बनी ही हैं, जरूरत होने पर अस्थायी समितियां भी बनाई जा सकती हैं। शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करेंगे तथा विभागीय अधिकारी जैसे-उपयंत्री, कार्यक्रम अधिकारी, पटवारी एवं पंचायत स्तरीय कर्मचारी व अन्य विभाग के अधिकारी जिनके साथ कन्वर्जन्स किया जा रहा हो तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।


क्रियान्वयन एवं देखरेख

वार्षिक कार्य योजना का निर्माण में क्रियान्वयन में किये धारा 46.(3) के तहत गठित स्थाई समिति, 'निर्माण एवं विकास समिति' का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है की समिति के समस्त संबंधित सदस्य संयुक्त रूप से क्रियान्वित होने वाले सभी निर्माण कार्य को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कार्यों को कराया जाने का दायित्व मिला है।

उपरोक्त के अलावा नीचे निम्नलिखित लोगों की सहभागिता भी नियोजन में बेहद जरूरी है :—

- सक्रिय महिला, बुजुर्ग, युवा, दिव्यांगजन, परिवार के वयस्क सदस्य।
 - गांव के सामुदायिक संगठन, बचत समूह, समितियों इत्यादि के लोग।
 - गांव के सक्रिय जॉब कार्डधारी मजदूर परिवार के लोग।
- योजना निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि गांव के सभी वर्ग, जाति एवं विभिन्न समूह के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाये।

सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के विभिन्न चरण



नियोजन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है और उसे एक व्यवस्थित और कमबद्ध तरीके से करने से ही उचित परिणाम मिल सकते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना (सूक्ष्म स्तरीय नियोजन) की प्रक्रिया को मुख्य रूप से आठ चरणों में बांटा जा रहा है। इन चरणों से गुजरे बिना नियोजन का स्वरूप भटका हुआ दिखाई देगा इसलिए हम सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के विभिन्न चरणों के तहत कार्य करते हैं। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के विभिन्न चरण निम्नानुसार हैं –

प्रथम चरण : लोगों की सहभागिता से गांव की समस्याओं को पहचानना

योजना निर्माण समिति के सदस्य द्वारा गांव के लोगों के साथ मिलकर गांव का सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण कर सकते हैं। इस मानचित्रण के माध्यम से गांव की बसाहट, जातिगत एवं सामाजिक व्यवस्था और गांव में उपलब्ध संसाधनों को समझने की कोशिश की जा सकती है। इसी के साथ –साथ समस्याओं की सूची भी तैयार की जा सकती है।

दूसरा चरण : समस्याओं की प्राथमिकता तय करना

जब सब समस्याओं को परिवार स्तर, मोहल्ले स्तर, गांव स्तर, एवं पंचायत स्तर पर चिन्हित कर लिया गया हो तो, इन समस्याओं को विषय वार भी देखा जा सकता है। जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण से जुड़े मुद्दे इन विषयों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण विषय अधोसंरचना विकास का है, जिसमें सबसे अधिक वित्तीय व्यवस्था एवं तकनीकी ज्ञान व विभागीय सहयोग की आवश्यकता होती है।

समस्याओं के प्राथमिकी करण की विधि

हर समस्या की गंभीरता को कुछ बिन्दुओं को मापक मानकर सामूहिक रूप से अंक दिये जा सकते हैं। समस्या के प्राथमिकीकरण की विधि को हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं।

- समस्या ग्रस्त लोगों की संख्या के अधार पर अंक देकर
- बजट व वित्तीय सुनिश्चितता पर अंक देकर
- समस्या की गंभीरता के आधार पर अंक देकर

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर दिये गए अंकों का योग कर समस्याओं का प्राथमिकीकरण किया जा सकता है। जिस समस्या को सर्वाधिक अंक प्राप्त होंगे उसे पहली प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिये।

तीसरा चरण : समस्या के कारणों की पहचान करना

समस्याओं का प्राथमिकी करण कर लेने के पश्चात् समस्याओं के मूल कारणों की पहचान करना भी महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे पीने के पानी की समस्या के कई कारण हो सकते हैं जिसमें मुख्य रूप जल स्तर नीचे चले जाना हो सकता है। इस कारण हैण्डपम्प का बंद होना भी हो सकता है।

चौथा चरण : समस्या के हल के लिए विकल्प खोजना

समस्या के कारण का पता लगाने के बाद समुदाय के साथ समस्या को दूर करने के उपायों पर चर्चा करनी चाहिये। उपायों के विकल्प का चुनाव करते समय उस पर लगने वाला पैसा, लोगों की सहमति, तकनीकी बातें, समय-सीमा, पर्यावरण, सामाजिक प्रभाव, महिलाओं की लिए उपयोगी, आदि बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जिस प्रकार एक बीमारी को दूर करने के लिये कई तरह के उपचार होते हैं उसी प्रकार हर समस्या के निदान के कई विकल्प हो सकते हैं।

पांचवां चरण : गतिविधियों का निर्धारण करना व बजट बनाना

योजना निर्माण में गतिविधियों के निर्धारण का बहुत महत्व है। प्रत्येक गतिविधि को छोटी-छोटी गतिविधियों में तोड़ना तथा उन्हें पूरा करने की समय सीमा तय करना। गतिविधियों का क्रम तय करना अर्थात् कौन सी गतिविधि कब, किसके बाद की जानी है आदि का निर्धारण करना शामिल है।

छठवां चरण : जिम्मेदारी का बंटवारा एवं समय का निर्धारण करना

उपरोक्त गतिविधियों को पूरा करने में लगने वाले संसाधन जैसे – मजदूर, सामग्री, पैसा आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी लोगों को देना ताकि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके तथा एक के पास बहुत ज्यादा काम भी न हो। लोगों के अनुभव, सहमति, रुचि के अनुसार उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

सातवां चरण – अनुश्रवण, निगरानी एवं मूल्यांकन

योजना निर्माण के समय ही तय करा जाता है कि विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों की सतत निगरानी एवं मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। आम जनता को ग्रामसभा के माध्यम से अपने गांव या पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने, क्रियान्वयन एजेंसियों की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तय करने के लिये, सामाजिक अंकेक्षण जैसी प्रक्रिया का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

आठवां चरण :— कार्य योजनाओं का समेकन एवं ग्राम सभा में अनुमोदन

नियोजन की इकाई पंचायत है। इसलिए आवश्यक है कि पंचायत के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक ग्राम की विकास योजना बनाई जाये। सभी गांवों की विकास योजनाओं का समेकन ही पंचायत की विकास योजना कहलाएगी। ग्राम पंचायत विकास योजना का अनुमोदन पंचायत अथवा ग्राम स्तर पर हो सकता है। यदि कार्य योजनाएं ग्राम स्तर पर बन रही हैं तो इसे प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन करवाने की आवश्यकता होती है।

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार होने के बाद कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति आवश्यक है। पंचायते 15 लाख तक के कामों के प्रशासनिक स्वीकृति दे सकती है। यदि काम पंचायत की सीमा से बड़े बजट का हो तो सम्बंधित विभाग उसमे प्रशासनिक स्वीकृति देते हैं।

तकनीकी स्वीकृति के लिए पंचायतों को तकनीकि कर्मचारियों जैसे इंजीनियर इत्यादि की मदद लेनी पड़ती है। मनरेगा मे कार्यरत इंजीनियर व सब इंजीनियर, कार्यों को तकनीकि स्वीकृति देते हैं व तकनीकि प्राकलन तैयार करते हैं। यदि काम किसी विभागीय बजट से हो रहा हो तो विभागीय इंजीनियर अथवा शासकीय इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियर कार्यों को तकनीकी स्वीकृति देते हैं।

आधारभूत जानकारीयों का संकलन हैतु विभिन्न मानचित्र बनाना (अभ्यास सत्र हैतु)

पी.आर.ए. के दौरान विभिन्न मानचित्र बनाना एक महत्वपूर्ण विधि है जो शुरूआती दौर पर अपने ग्राम में सम्पर्क स्थापित करने, आपसी मेल-जोल बढ़ाने और लोगों की बातें सुनने में सहायक होती है। इसमें लोगों का जुड़ाव काफी होता है लोग रुचि एवं मनोरंजक ढंग से इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं इसके लिए हमें अपने गाँव में जाते ही एकदम मानचित्र बनाने की बात नहीं करना चाहिए पहले अपने लोगों के साथ सामान्य बातचीत से मेल-जोल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए लोगों के साथ अपनत्व बढ़ाना चाहिए हमें “उन” पर और उन्हें “हम” पर विश्वास करना की स्थिति बनने देना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में पहले अपने लोग भी मानचित्र बनाने में ज़िङ्गकरते हैं, अरे हम मानचित्र कैसे बना सकते हैं? हम तो अनपढ़ हैं आप लोग पढ़े लिखे हो आप ही बना सकते हो या गांव का पटवारी बना सकेगा या फिर मास्टर जी बना सकते हैं। यह बात भी सच है परन्तु हमारे द्वारा बनाया गया मानचित्र तो नजरीय नक्सा हो जायेगा इसमें सबके सुझाव नहीं होंगे अतः हम कोशिश करें कि हम जहां बैठे या खड़े हैं एक लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा हाथ में लें तथा जमीन को साफ करके कुछ चिन्ह बना सकते हैं कि हम यहां हैं इससे जुड़ा दूसरा घर बना सकते हैं और फिर इसके आगे शायद पत्थर या लकड़ी को गांव वालों के हाथ में थमा दें इसके आगे किसका घर है।

या फिर हम जहां वहीं एक रास्ता बना दें और फिर दूसरे के लिए लकड़ी या पत्थर उनके हाथ में दे। जब वे अपने हाथ में ले लेते हैं फिर एक साथ कई लोग बीच-बीच में हस्तक्षेप करने लगते हैं कि वह ऐसे नहीं ऐसे है, यहां नहीं वहां है इत्यादि और गहन चर्चा एवं विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मानचित्र कई बार बनता और बिगड़ता है। लोग बदलते रहते हैं और प्रक्रिया चल पड़ती है और हम धीरे-धीरे पीछे हट जाते हैं और गांव वाले आगे आते हैं। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया पर उनका दबदबा हो जाता है। इस तरह गांव के अंदर स्थित सभी वस्तुओं को वे दर्शाते हैं जमीन पर बने घरों में बने विभिन्न प्रकार के बीजों या पत्थरों, लकड़ियों, पत्तियों में विभिन्न जानकारी दर्शायी जाती है। कहीं-कहीं यह प्रक्रिया सीधे कागज पर भी शुरू हो जाती है वह तभी संभव है जब गांव वाले हमारी बात को समझ जायें या ज़िङ्गक मिट जाये या अपने गांव वालों में कुछ पढ़े-लिखे लड़कों महिलाओं समुह सदस्यों को मार्गदर्शन दे तो वह मानचित्र बनाते जाते हैं। वर्तमान परिवेश में अधिकांशतः कागज पर ही मानचित्र बनाने का दौर चला है। एक बार थोड़ा समझ में आने के बाद गांव के लोग खुद ही जमीन या कागज पर पेन या स्केच पकड़कर पूरा सामाजिक मानचित्र बेहतर ढंग से बना देते हैं जरूरत है सिर्फ सहज करने की उसके बाद वे खुद-ब-खुद बनाते चले जाते हैं। मानचित्र बनाने में स्थानीय सामग्री का जैसे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या बालू का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न रंगों की रंगोली या अन्य पाउडर भी प्रयोग किया जाता है। इससे लोगों की रुचि, उनका उत्साह और विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न रंगों में दर्शाने का अवसर मिलता है।


मानचित्र के विभिन्न स्थितियों को समझने के लिये निम्न अभ्यास का उपयोग करते हैं

सामाजिक मानचित्र –

मानचित्र के प्रकार	क्या जानकारी लें सकते हैं—	किस तरह उपयोग कर सकते हैं—
<p>सामाजिक मानचित्र</p> <p>सामाजिक मानचित्र गांव के सीमा के अंदर उपलब्ध संसाधन जिसका उपयोग ग्रामवासी करते हैं उसका चित्रण किया जाता है बसाहट क्षेत्र के साथ मानचित्र बनाने की प्रक्रिया है। इसमें अंतर इतना होता है कि बसाहट क्षेत्र बड़ा दिखाया जाता है तथा विभिन्न जातियों/ धर्मों की जनसंख्या जानने के साथ उनकी समाजिक तानाबाना बसाहट आदि के माध्यम से समझने में सहयोगी होता है।</p>	<p>गांव का बसाहट क्षेत्र गांव की गलियाँ</p> <p>कच्ची पकड़ी सड़कें</p> <p>जुड़ी हुई सड़कें</p> <p>घर—कच्चे, पकड़े, झोपड़ी</p> <p>पेयजल स्रोत</p> <p>विद्युत लाईन</p> <p>मन्दिर, चौपाल, स्कूल, दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि</p> <p>जातिगत /धर्म बसाहट इत्यादि</p> <p>सामूहिक स्थल</p>	<p>गांव की जनसंख्या जानने में स्त्री पुरुष की जनसंख्या जानने में</p> <p>विभिन्न आयुर्वर्ग की जनसंख्या जानने में</p> <p>पढ़ने वाले/न पढ़ने वाले बच्चों के बारे में</p> <p>विभिन्न जातियों/धर्मों की जनसंख्या जानने में</p> <p>पशुपालन संबंधी आंकड़े जानने में</p> <p>स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े जानने में</p> <p>कच्चे—पकड़े मकानों के बारे में</p> <p>मानव शक्ति जानने के बारे में</p> <p>सेवा /सुविधाओं के बारे में</p>

सामाजिक मानचित्र का विश्लेषण (अधोसंरचना, सुविधा संबंधी आदि)

गांव में अलग-अलग जाति के लोगों की बसाहट कैसी है? क्योंकि हो सकता है गांव में अलग-अलग जातिवाद हो।



- गांव की बसाहट और जाति के साथ देखा जाये कहीं विकास की दिशा प्रभावित तो नहीं है। जैसे – स्कूल, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल सुविधा, बिजली जैसी सुविधा उपलब्ध है या नहीं। यदि नहीं है तो क्या कारण है?
 - गांव की गलिया एवं उनमें बनी कच्ची-पक्की सड़कें। इन गलियों से जुड़ी सड़के एवं पहुंच मार्ग की स्थिति, उपयोग एवं क्या समस्याएं हैं?
 - गांव में घरों की स्थिति जैसे— कच्चे, पक्के, झोपड़ी जिससे ये विश्लेषण किया जा सके की अमीर, गरीब, अति गरीब परिवार कहा रहते हैं? इस जाती के साथ जोड़कर विश्लेषण किया जाने से गांव

की सामाजिक तस्वीर को बेहतर समझा जा सकता है?

मन्दिर, चौपाल, दुकान, इत्यादि को भी जाति एवं बसाहट के साथ विश्लेषण किया जा सके।

अभ्यास क्रमाक 02 संसाधन मानचित्र –

मानचित्र के प्रकार	क्या जानकारी लें सकते हैं—	किस तरह उपयोग कर सकते हैं—
संसाधन मानचित्र संसाधन मानचित्र गांव के सीमा के अंदर उपलब्ध संसाधन जिसका उपयोग ग्रामवासी करते हैं उसका चित्रण किया जाता है हालांकि संसाधन मानचित्र बनाने की प्रक्रिया सामाजिक मानचित्र जैसी ही है। इसमें अंतर इतना होता है कि बसाहट क्षेत्र छोटा एवं गैर बसाहट क्षेत्र बड़ा दिखाया जाता है।	नदी, नाले, पहाड़ आदि। सीमायें एवं सीमावर्ती गांव या क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, चारागाह, सामाजिक क्षेत्र इत्यादि। विभिन्न फसलों एवं वृक्षों का अलग-अलग क्षेत्र। मिट्टी का वर्गीकरण। पानी के स्रोत। सड़के। गांव बसाहट क्षेत्र। इत्यादि।	सामाजिक मानचित्र की तरह समस्या एवं उपलब्धता का विश्लेषण करायें। बच्चों और महिलाओं को भी प्रक्रिया में जोड़ने का प्रयास करें। सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास करें।

संसाधन मानचित्र का विश्लेषण (जल, जंगल, जमीन, जानवर, कृषि, चारा).

आजीविका के परिप्रेक्ष्य में उक्त संसाधनों का अलग—अलग विश्लेषण करना है।

उपलब्धता, प्रबंधन, वर्तमान स्थिति, विकास की संभावनाएं, संसाधनों की उपयोगिता।

गांव में कुआं, तालाब एवं बावड़ी आदि कहां—कहां पर हैं? इसमें कब तक पानी रहता है?, उनका क्या उपयोग है? कौन उपयोग करता है? गांव में नदी एवं नाला कहां—कहां फैला हुआ है? क्या इन पर स्टाप डेम/बोरी बंधान आदि बने हुए हैं? इनमें कब तक पानी उपलब्ध रहता है?

गांव में वन भूमि कहां पर है। जंगल में किस तरह के पेड़—पौधे पाए जाते हैं। गांव वाले वन से कौन—कौन सी वनोपज लाते हैं, कब लाते हैं, जंगल से क्या—क्या प्राप्त होता है आदि।

गांव में खेत, बाग, बगीचे कहां हैं, कृषि के लिए उपजाऊ जमीन, औसत और पड़त/बर्च भूमि कहां हैं। गांव में उपलब्ध गौण खनिज जैसे—पत्थर, रेत, गिट्टी, मुरम, कोपरा आदि।


गांव में सिंचित जमीन कहां है, उसके सिंचाई के क्या साधन हैं, किस तरह की फसले, फल, सब्जी ली जाती हैं आदि।

गांव में किस तरह के पशु रहते हैं, उनके चारे की क्या व्यवस्था है, संकर प्रजाति के कौन से पशु हैं। इसके अलावा गांव वालों से यह भी पूछा जाए कि इन संसाधनों का उनकी आजीविका से क्या संबंध है। इन संसाधनों में कौन से और सुधार किए जाए या किस तरह उपयोग किया जाए जिससे उनकी आजीविका को बेहतर बनाया जा सके।

गांव में स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल, सड़क आदि

घरेलू तथा खेती के लिए विद्युत लाईन

उचित मूल्य की दुकान, अनाज भण्डारण केन्द्र



3. क्षेत्र भ्रमण/अवलोकन का चित्रण –

क्षेत्र भ्रमण/अवलोकन

इस विधि के द्वारा गांव के आबादी वाले क्षेत्रों तथा गांव के चारों और कृषि क्षेत्र, पहाड़, नदी—नाले, चारागाह, सामूहिक क्षेत्र इत्यादि की जानकारी के लिए किये गये भ्रमण से संबंधित है। क्षेत्र भ्रमण के लिए या तो संसाधन मानचित्र की मदद भी ले सकते हैं।

मानचित्र के प्रकार	क्या जानकारी लें सकते हैं—	किस तरह उपयोग कर सकते हैं
इस विधि का मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र में	नदी, नाले, पहाड़, चारागाह, सामूहिक जमीन गिट्टी के	तथ्य को जानने का प्रयास करें।

<p>प्राकृतिक संसाधनों के जो विभिन्न प्रकार है उनके स्वयं जाकर देखें उनके विषय में जानकारी लें, तथा समस्याओं एवं उपलब्धताओं को स्वयं समझे और उसका विश्लेषण करें।</p>	<p>प्रकार, गुण, दोष फसलों के प्रकार, गुण, दोष तकनीकि। वृक्षों के प्रकार, गुण, दोष, उपयोग इत्यादि घास के प्रकार, गुण, दोष, उपयोग इत्यादि। वन्य जीव, प्रकार लाभ-हानि। समस्याएं उपलब्धता इत्यादि।</p>	<p>कहीं भी जाने में आलस न दिखायें गहराई तक जानकारी लें। शेष अन्य विधियों में लिखी बातें प्रासंगिक हैं।</p>
---	--	--

समस्याओं के प्राथमिकीकरण के लिए

गतिविधि निधारण प्रपत्र 1

क्र.	लिए समस्या प्रस्तावित गतिविधि के सम्बन्ध में ज्ञेत्रक का नाम	गतिविधि का स्थान/विवरण	कार्य की संख्या / माप प्रकार	कियान्वयन की जिम्मेदारी	कार्य की अनुमति लागत	लाभान्वित परिवार	
1	हैडपम्प की स्थापना	स्वास्थ्य	खास पारा हैडपम्प की स्थापना	1 हैडपम्प	पी एच ई	1,07,000	53 परिवार
2	सीसी सड़क	अधोसंरच	कोटवारपारा के रास्ते में 3मी चोड़ी, 270 मी लम्बाई	810 वर्ग मीटर	ग्राम पंचायत	8,10,000	80 परिवार
		अधोसंरच	मंदिर मोहल्ले के रास्ते में 3मी चोड़ी, 200 मी लम्बाई	600 वर्ग मीटर	ग्राम पंचायत	6,00,000	पूरा गावं

3	डब्ल्यू बीएम	अधोसंरच	मुख्यमार्ग से शमशान तक 1.5 किलो मीटर	1.5 कि. मी.	ग्राम पंचायत	7,50,000	पूरा गावं
4	नाली निर्माण	अधोसंरच	आंगनबाड़ी भवन से मुख्य मार्ग तक	200 मीटर	ग्राम पंचायत	2,00,000	पटेलपारा के 60 परिवार
5	घाट निर्माण	अधोसंरच	बड़े तालाब में स्नान घाट	30 गुणा 10 मीटर	ग्राम पंचायत	3,00,000	पूरा गावं
6	महिलाओं हेतु मुत्रालय का निर्माण	स्वास्थ्य	बस स्टाप	2 नग	ग्राम पंचायत	20,000	महिला यात्री

उपरोक्त तालिका अनुसार बिना बजट की गतिविधियों के साथ—साथ कम बजट की गतिविधियों का निर्धारण किया जा सकता है। जिससे समस्या को क्षेत्रक अनुसार भी देखा जा सकता हो जैसे शिक्षा—1, स्वास्थ्य —2, आजीविका—3, अधोसंरचना—4, ऊर्जा, ईंधन एवं वैकल्पिक ऊर्जा—5, सामाजिक सुरक्षा—6। इन मुददे में स्वच्छता, पोषण से जुड़े मुददे वही सामाजिक भेदभाव, छुआछुत, घरेलू हिंसा, लोगों का व्यवहार कुरुतिया को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रक में इसी प्रकार पलायन, कृषि के क्षेत्र में सिचाई भुमि सुधार, जंगल, जमीन, जानवर व ग्राम स्तर पर मत्स्य पालन तलाब आदि संसाधनों का प्रबंधन जैसे विषय को आजीविका के क्षेत्रक में समाहित कर देखा जा सकें। निर्माण के समान्य कार्य को जैसे सड़क, नाली, पुल—पुलिया भवन आदि को अधोसंरचना विकास में समाहित किया जाये। निम्न तालिका के माध्यम से विस्तार से क्षेत्रकवार कार्यों को समझा जा सकता है—

क्षेत्रक	समस्या के मुख्य बिन्दु
शिक्षा	मध्यमिक शाला कम्प्युटर शिक्षा
	प्राथमिक एवं माध्यमिक भाला में बाउन्ड्रीवाल निर्माण
	प्राथमिक भाला में भंडार गृह का निर्माण
	उच्चतर माध्यमिक भाला भवन मरम्मत
	शिक्षकों की नियुक्ति
	प्रयोगशाला का निर्माण
	शिक्षक आवासीय परिसर निर्माण
	अभिभावकों की बैठके
	खेल मैदान का निर्माण स्कूल परिसर के पीछे शासकीय जमीन पर
	शाला विकास समिति का प्रशिक्षण

स्कूल में चौकीदार की नियुक्ति हों जिससे स्कूल एवं प्रांगण में लगें आबले की सुरक्षा हों सकें। रखरखाव की व्यवस्था।

स्वास्थ्य	<p>स्वच्छता अभियान, डीडीटी छिड़काव,</p> <p>सोखता गड्ढे का निर्माण</p> <p>पानी निकालने के लियें डण्डी के लोटे</p> <p>हाथ एवं थाली धोने के लिए प्लेट फार्म का निर्माण</p> <p>स्कूल में शौचालय का निर्माण</p> <p>प्रसव कक्ष का निर्माण एवं बिस्तर</p> <p>स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर जागरूकता अभियान</p> <p>शौचालय उपयोग के लिए जागरूकता अभियान</p> <p>घरों में शौचालय का निर्माण करना</p> <p>आ.बा केंद्र खोलने एवं शौचालय निर्माण गांवएवं गादेर शौचालय</p> <p>नये हैडपम्प की स्थापना</p> <p>स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का प्रशिक्षण</p> <p>नल जल योजना का चालू कराना,इसमें विजली कनेक्सन नहीं है। पाइप लाइन फटी हुई है नयी लाइन विछाने की वात ग्रामीणों ने कही है।</p>
स्वास्थ्य (पोषण)	<p>गांव में मिनी केंद्र खोला जाय वहां पर बच्चों की संख्या 30 से ऊपर है।</p> <p>बच्चों को खाने के लियें आ. बा. में थाली व गिलास की आवश्यकता है।</p> <p>आंगनवाड़ी में कुर्शी एवं जांच की टेबुल की सख्त आवश्यकता है।</p> <p>खेल सामग्री,</p> <p>गर्भवती टेबल</p> <p>पोषण पर जागरूकता निर्माण अभियान</p> <p>किचन शेड का निर्माण</p>
आजीविका	<p>तलैया निर्माण</p> <p>कपिलधारा कूप वं मेंड बंधान</p> <p>स्टॉप डेंम निर्माण</p> <p>तालाब का निर्माण</p> <p>निजी जमीन पर डबरी निर्माण</p> <p>भूमि सुधार एवं समतालिकरण</p> <p>20 किसानों को मॉडल के तौर पर वर्मी कम्पोस्ट निर्माण करने का प्रशिक्षण</p> <p>खरीप में उन्नत किस्म एवं श्री पद्धति से किसानी का प्रशिक्षण</p> <p>उन्नत बीज धान, मक्का मूग आदी</p> <p>रबी में उन्नत किस्म एवं श्री पद्धति से किसानी का प्रशिक्षण</p> <p>उन्नत बीज धान, मक्का मूग सब्जी, गेहू उन्नत बीज धान, मक्का मूग</p> <p>व्यवसायिक कौमालता प्र॑क्षण (बढ़ईगिरी मत्स्यपालन पशुपालन डेरी विकास)</p> <p>सिंचाई संसाधनों की मांग (विद्युत पम्प डिजल पम्प)</p> <p>कृषि संसाधनों की आव यकता (थ्रेशर मशीन स्प्रेयर)</p> <p>उन्नत बनाने हेतु प्रस्तावित(बकरी मुर्गी भैंस सुअर गाय)</p> <p>जल संवर्धन हेतु एक्सपोजर</p>

	तकनीकी कृषि करने हेतु एक्सपोजर फलदार वृक्षारोपण
अधोसंरचना	जंगल में घास के लिये ग्रामीणों को आबंटन करना जिससे जानवरों एवं दुधारु पशु कों अहार मिलें एवं दूध पर्याप्त मिल सकें ।
	कांजी हाड़स का निर्माण
	सामुदायिक भवन का निर्माण
	गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण
	सीसी रोड चक हिलगना
	गांव पुहच मार्ग रोड निर्माण
	रोड पर पुलिया निर्माण
	तालाब गहरीकरण
	तालाब के पास वृक्षारोपन
उर्जा	कृषि कार्य हेतु नाले किनारे पोल की आवश्यकता है।
	कृषि कार्य हेतु 12 किसानों को कनेक्शन
	गोबर गैंस का निर्माण
नागरीक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण	सामाजिक सुरक्षा पेशन एवं इन्द्रगांधी पेशन योजना का लाभ पात्र लोगों को मिलें।
	ग्रामीण सूचना केंद्र एवं पुस्कतकालय का निर्माण

समय निर्धारण गतिविधि प्रपत्र

क्रमांक	केन्द्रक का नाम	लिए रखे समस्या प्रस्तावित गतिविधि	का गतिविधि उद्यान / विवरण	निर्धारित समय	एवं कार्य का प्रकार	एवं कार्य का प्रक्रिया	कियांन्वयन की जिम्मेदारी	लाभान्वित परिवार
1	शिक्षा	शिक्षकों का समय आना सुनिश्चित करना	प्रायमरी स्कूल	साप्ताहिक प्रातः 9	समुदायिक निगरानी	शाला प्रबंधन समिति	स्कूली बच्चों के 30 परिवार	
2	स्वास्थ्य	अति गंभीर आंगनबा	दुसरे मंगलवार	सामुदायि	स्वास्थ्य	3 बच्चे		

		कृपोशित बच्चों को विषेश उपचार एवं संदर्भ सेवा	डी क्रमांक— 2	को प्रातः 8 –12 बजे एवं आवश्यकतानुसार	क निगरानी एवं जागरूकता	समिति एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	
3	स्वास्थ्य	गांव को खुले से शौच मुक्त बनाये रखना एवं स्वच्छता अभियान चलाना	पूरा गांव एवं आवासीय क्षेत्र	पाक्षिक स्वच्छता अभियान चलाना एवं निरंतर जागरूकता	सामुदायि क निगरानी एवं जागरूकता	ग्राम सभा एवं स्वच्छता समिती	पूरा गांव

बजट :

एक अच्छी विकास योजना में शामिल कार्यों को पूरा करने के लिये पंचायत के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन की उपलब्धता भी जरूरी है। यहां बजट के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है, लेकिन पंचायत के बजट पर अधिक जानकारी के लिये पृथक मेनुअल प्रकाशित किया गया है जिसका अध्ययन किया जा सकता है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में बजट संबंधी कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अनुसारः—

- प्रत्येक ग्रामसभा द्वारा हर साल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट बनाना जरूरी है (धारा 7ज)। ग्रामसभा द्वारा बजट बनाने की प्रक्रिया “म.प्र. ग्रामसभा (बजट अनुमान) नियम 2001” के दी गई।
- पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत तीनों इकाइयों (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत) द्वारा हर साल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट बनाना जरूरी है और इसी बजट के अनुसार आगामी वर्ष में आय व्यय किया जाएगा—धारा 73(1)।

ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत का बजट बनाने की प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा नियम जारी किए गए हैं। ये नियम हैं— मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997, मध्यप्रदेश जनपद पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997 एवं मध्यप्रदेश जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997। प्रस्तुत किताब में इन्हीं नियमों के आधार पर बजट बनाने की प्रक्रिया समझाई गई है।

बजट के मुख्य आयाम :-

किसी भी बजट के दो मुख्य आयाम होते हैं, एक प्राप्तियां और दूसरा व्यय।

प्राप्तियां : प्राप्तियां बजट का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। प्राप्तियों का मतलब प्राप्त होने वाली राशि या आय से है। पंचायत की तीनों इकाइयों द्वारा अपना बजट बनाते समय यह देखा जाता है कि उनके आय के क्या स्रोत हैं और किन स्रोतों से आगामी वर्ष में कितनी आय होगी।

व्यय : बजट का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम “व्यय” है। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि आगामी वर्ष में किन-किन कामों में कितना खर्च होगा ? बजट में आमतौर पर उतना ही व्यय रखा जाता है, जितने कि आय होने की संभावना होती है। साथ ही पंचायतों को सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि जिस कार्य के लिए एवं शर्त पद दी जाती है, उसे बजट में भी उसी कार्य के लिये खर्च में दिखाया जाता है।

पंचायत में कहाँ-कहाँ प्राप्त होती है धनराशि,

बजट बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि पंचायत में पैसा कहाँ से और किस काम के लिए आता है? प्राप्त होने वाली राशि का अनुमान लगाकर अगले साल के खर्च का अनुमान लगाया जाता है। यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा लोगों के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। उनमें से कई योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है जैसे इंदिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा, आदि। इनके लिए सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को राशि दी जाती है। अतः बजट बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि वर्ष में सरकार द्वारा पंचायतों को किन-किन योजनाओं पर कितनी राशि दी जाएगी।

जब हम पंचायत को मिलने वाली राशि, होने वाली आय के बारे में विचार करते हैं तो पाते हैं कि पंचायत को तीन प्रमुख स्रोतों से आय होती है,

1. एक सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिए प्राप्त राशि,
2. दूसरी वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि
3. तीसरी पंचायत के अपने स्रोतों से आय।

अर्थात् पंचायत की विकास योजना बनाते समय पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनों को भी ध्यान में रखना चाहिये।

तृतीय सत्र

01.00

सामाजिक अंकेक्षण क्या, क्यों एवं कैसे करें?

हमारे देश में जनतंत्र की व्यवस्था है। जिसका मतलब है जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता के द्वारा सरकार। जिस जनता की सरकार है उसे सरकार के काम का, पैसों के खर्च का सत्यापन करने का हक है। इस हक को कानून बनाकर और पुख्ता करने की कौशिश की गई है। समाज की जितनी ज्यादा निगरानी सरकार और सरकार के कामकाजों पर होगी, सरकार उतनी ही लोकतांत्रिक होगी। इस निगरानी को जब लोग व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो वह सामाजिक (सोशल आडिट) कहलाता है। सामाजिक अंकेक्षण का मतलब है समाज के द्वारा किया जाने वाला अंकेक्षण। पंचायत राज में ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। इसलिये मनरेगा कानून में ग्राम सभा को अंकेक्षण करने का हक दिया गया है।

१. सामाजिक अंकेक्षण क्या है ?

पंचायत राज में सामाजिक अंकेक्षण का सीधा सा अर्थ ग्राम सभा द्वारा पंचायत या अन्य क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कराए गए कार्यों की गुणवत्ता, उपयोगिता और खर्च किये गए पैसों का सत्यापन करना है। इसमें किसी भी संगठन/संस्था/कार्यालय द्वारा कराए गये या किए जा रहे प्रत्येक कार्य विशेष के समाप्त होने पर या क्रियान्वयन के दौरान ही उस कार्य से संबंधित सभी पहलुओं व तथ्यों का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण का मतलब है कि —

- कार्य ग्राम सभा से प्रस्तावित था अथवा नहीं?
- कार्य सचमुच कराया गया या नहीं?
- कार्य विशेष से जुड़े विभिन्न मदों पर कितना खर्च हुआ?
- कार्य की गुणवत्ता कैसी है?
- लोगों की नजर में कार्य उपयोगी है या नहीं?

आदि का सत्यापन करना ही सामाजिक अंकेक्षण है। दूसरे अर्थों में कहा जा सकता है कि किसी ग्राम के विकास या लोक अधिकार से संबंधित किसी मुददे के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों पर, ग्राम सभा द्वारा गहन चर्चा करना, गुण-दोषों के आधार पर सुधार हेतु निर्णय लेना ही सामाजिक अंकेक्षण है। विस्तृत अर्थों में सामाजिक अंकेक्षण 'हमारा पैसा—हमारा हिसाब' की अवधारणा व स्वरूप है। सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जनता के पैसे के पारदर्शी व गुणवत्ता पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करती है एवं कार्य करवाने वाले लोगों की सामाजिक जवाबदेही तय करती है।

पंचायत द्वारा खर्च किये गये पैसे का हिसाब मांगना है। पता करते हैं कि पंचायत को मिले पैसे से कौन-कौन से काम कराए गये, काम सही हुए या नहीं। चलिये हम सब इसका सत्यापन करते हैं।



सामाजिक अंकेक्षण

क्या है ?	यह जिम्मेदारी स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह समुदाय को क्रियान्वयन एजेंसी से सवाल पूछने और जवाब मांगने का अधिकार देता है।
किसके द्वारा किया जाता है ?	ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।
किसका ऑडिट किया जाता है ?	इसमें क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कराए गए कार्यों का ऑडिट होता है।
इसमें क्या होता है ?	मौके पर जाकर किये गये कामों की गुणवत्ता और खर्च किए गए पैसों का दस्तावेज और मौखिक पूछताछ द्वारा सत्यापन किया जाता है। लोगों से पूछकर यह भी पता करते हैं कि कराए गए काम समाज के लिये कितने

	उपयोगी हैं? समाज को संतोष है या नहीं? सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया से प्राप्त निष्कर्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को सौंपा जाता है।
इसके क्या लाभ हैं ?	इसमें कार्यक्रम/योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही तय होती है और संसाधनों पर जनता का हक स्थापित होता है।

२. सामाजिक अंकेक्षण क्यों ?

सरकार जिस लोकनिधि को समाज के कल्याण के लिए खर्च करती है उसके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, कार्यक्रम या योजना में लक्षित समूह के अनुभवों के आधार पर गुण-दोषों की समीक्षा करने, सीख के आधार पर आगे की दिशा तय करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण एक अच्छी प्रक्रिया है।

निर्माण कार्यों के संदर्भ में उपरोक्त बातें सीधे तौर पर समझी जा सकती है किंतु समाज कल्याण या सामाजिक विकास के लिए दी जा रही सेवाओं के संदर्भ में इसे अलग तरीके से समझना होगा। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लाभ की समय सीमा तय है। यदि सेवाएं समय पर न मिले तो लाभ लेने वाले को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उदाहरण के लिये, उपस्थान केंद्र पर डॉक्टर तय समय पर उपस्थित न हो तो लोग इलाज नहीं करा सकेंगे एवं इससे उन्हें बड़ा नुकसान भी हो सकता है। शिक्षक कक्षाओं में न पढ़ाएं एवं बच्चे लगातार फेल होते रहें तो बच्चा आगे की पढ़ाई नहीं कर सकेगा और उसका भविष्य प्रभावित होगा। शिक्षा के अभाव के कारण वह अपने भोजन के अधिकार, सुरक्षा के अधिकार एवं अन्य नागरिक व मानवाधिकारों को प्राप्त करने में या तो पीछे रह जाएगा या वह इन अधिकारों से वंचित रह जाएगा।

इसी प्रकार यदि आंगनबाड़ी पर बच्चों का नियमित वजन न लिया जाये तो यह पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा कमज़ोर व कुपोषित है। ऐसे में कुपोषित बच्चों की पहचान नहीं हो सकेगी एवं वे गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं।

इसी तरह निराश्रित वृद्धजन को दी जाने वाली पेंशन की राशि का भुगतान समय पर न हो तो वृद्ध को भोजन, इलाज जैसे संकटों का सामना करना पड़ सकता है।

३. सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य व फायदे

विकास की किसी योजना, परियोजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना, लोगों की सहभागिता और गुणवत्ता में वृद्धि करना सामाजिक अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया अपनाए जाने से कई प्रकार के दूसरे लाभ भी होते हैं।

- पंचायत द्वारा किये गए कार्यों का सत्यापन होता है।
- लोगों की जानकारी व जागरूकता में वृद्धि होती है।
- लोगों में जवाबदेही का एहसास होता है एवं वे जिम्मेदारी के साथ सुधारवादी कदम सुनिश्चित करते हैं।
- समाज के वंचित समूहों को आवाज मिलती है एवं उनका सशक्तिकरण होता है।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नई रणनीतियां बनाना एवं अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है।
- संसाधनों पर समाज का हक स्थापित होता है।
- पारदर्शिता बढ़ती है एवं विकास कामों की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण होता है।

सामाजिक अंकेक्षण होने लगेगा तो गांव का सुधार हो जाएगा। सबको समय पर पेंशन मिलेगी, सभी पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा, हर एक काम गुणवत्ता पूर्ण और ठिकाऊ होगा, पंचायत के कामों की मजदूरी भी समय पर मिलेगी, इतना ही नहीं हमें सभी विकास कामों की पूरी जानकारी भी होगी।



४. वित्तीय अंकेक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण

वित्तीय अंकेक्षण :

वित्तीय अंकेक्षण में पैसा नियम कायदे से खर्च हुआ है या नहीं, जितना पैसा स्वीकृत (मंजूर) था उससे अधिक तो खर्च नहीं किया गया, जिसे खर्च करने का अधिकार था उसी के द्वारा खर्च किया गया है या नहीं, जिस काम के लिए पैसा मंजूर था उसी पर खर्च हुआ या नहीं जैसे बिन्दुओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा जांच पड़ताल की जाती है।

सामाजिक अंकेक्षण :

सामाजिक अंकेक्षण में समाज/ग्राम सभा/हितग्राही के द्वारा क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठकर सरकारी/गैर सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे—योजना निर्माण, ग्राम सभा से अनुमोदन, किया गया खर्च, काम की गुणवत्ता, उपयोगिता आदि का सत्यापन एवं गुण—दोषों की समीक्षा की जाती है।

सामाजिक अंकेक्षण गलतियां या कमियां निकालने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह प्रक्रिया समाज को नियम व क्रियान्वयन में हुई चूक के बारे में बताती है व गलतियां सुधारने का मौका देती है। हमारे समाज में तो पहले से कहा जाता रहा है कि “**निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय, बिन पानी, बिन साबुना, निर्मल करे सुभाय।**”

वित्तीय अंकेक्षण और सामाजिक अंकेक्षण में अंतर

	वित्तीय अंकेक्षण	सामाजिक अंकेक्षण
किसके द्वारा जानकारी	विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है सीमित लोगों को जानकारी होती है	समाज/लोगों के द्वारा किया जाता है सभी को जानकारी होती है
सीमा	प्रक्रिया व नियमों तक सीमित है	नियमों के साथ कार्यों की उपयोगिता एवं सार्थकता पर केन्द्रित है
आधार	केवल दस्तावेजों के आधार पर होती है	वास्तविकता, गुणवत्ता एवं उपयोगिता के आधार पर होता है
नियंत्रण	विशेषज्ञों का नियंत्रण होता है	आम लोगों का नियंत्रण होता है
प्रक्रिया	सरकारी प्रक्रिया है	समाज द्वारा संचालित प्रक्रिया है

५. विभिन्न योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण के वैधानिक प्रावधान

मनरेगा

- म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6 के तहत ग्राम सभा के गठन और दायित्वों का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों की निगरानी व वित्तीय संसाधनों एवं व्यय आदि का परीक्षण करने के लिए अधिकृत है।
- म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-7(घ) एवं धारा-7ट (लेखा एवं संपरीक्षा) में ग्राम सभा द्वारा ग्राम सभा क्षेत्र में किये गए विकास कार्यों से संबंधित लेखा-जोखा की संपरीक्षा व सत्यापन करने का प्रावधान किया गया है।

- इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अध्याय 4, धारा 17(1), 17(2) व 17(3) में ग्राम सभा द्वारा पंचायत के भीतर प्रारंभ की गई योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 जून 2011 से लागू अधिसूचना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लेखा परीक्षा नियम 2011 की कंपिडका 4 (1) के परिपालन में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के संचालन हेतु मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति का गठन किया गया है। इसके लिये 13 दिसम्बर 2013 को प्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश सामाजिक संपरीक्षा नियम 2013 का राजपत्र में प्रकाशन किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है –

- धारा 27 में प्रावधान है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दस्तावेजों को सभी लोगों के देखने एवं जानने हेतु खुले तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- धारा 28 (1) में प्रावधान किया गया है कि सभी स्थानीय अधिकारी एवं राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी/निकाय समय—समय पर उचित मूल्य की दुकानों के संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हैं। वे पाई गई कमियों को सार्वजनिक कर सकते हैं एवं आवश्यक कार्यवाही भी कर सकते हैं।
- धारा 28 (2) में प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार ऐसी स्वतंत्र एजेंसी जिन्हें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया संचालन का अनुभव हो, की नियुक्ति कर सामाजिक अंकेक्षण करा सकती है।
- धारा 29 में प्रावधान किया गया है कि योजना के क्रियान्वयन की देखरेख हेतु निगरानी समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी विभिन्न अनियमितताओं पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी को रिपोर्ट करेगी।

मध्यान्ह भोजन योजना

3 जुलाई 2014 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में मध्यान्ह भोजन योजना में सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान किये गये हैं। इसमें सामाजिक अंकेक्षण समन्वय एवं सहजता समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति स्थानीय संस्थाओं से निर्मित होगी।

यह समिति शाला प्रबंधन समिति एवं इससे लाभान्वित बच्चों के अभिभावकों को सहयोग प्रदान करेगी। समिति सामाजिक अंकेक्षण सहजकर्ताओं, अभिभावकों, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं चयनित

सामाजिक अंकेक्षण प्रेरकों का प्रशिक्षण करेगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग एवं मध्यान्ह भोजन योजना से जुड़े जिला स्तर के अधिकारियों का उन्मुखीकरण भी करेगी।

सामाजिक अंकेक्षण सहजकर्ता निम्नलिखित कार्य करेंगे –

- समुदाय के बच्चों, अभिभावकों एवं लक्षित वर्ग के साथ समूह चर्चा। जब स्कूल का आडिट किया जा रहा हो उस दौरान घर-घर संपर्क की प्रक्रिया में भागीदारी।
- अभिभावकों एवं क्रियान्वयन एजेंसी (पीडीएस अभिकर्ता, खाद्य सामग्री के सप्लायर्स, एएनएम, चिकित्सक आदि) के साथ विद्यालय स्तर की बैठकों में भागीदारी। बैठक के दौरान बच्चों एवं अभिभावकों की मध्यान्ह भोजन योजना संबंधी प्रतिक्रियाओं को दर्ज करना।
- सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त मुद्दों को पढ़ने एवं उसे सार्वजनिक करने के लिये स्कूल स्तर की बैठकों का आयोजन करना।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में वार्षिक जांच एवं सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रत्येक राज्य प्रतिवर्ष 30 जून तक वार्षिक जांच करेंगे एवं 30 सितम्बर तक सामाजिक अंकेक्षण करेंगे। राष्ट्रीय स्तर के अनुश्रवणकर्ता राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की एक चेकलिस्ट बनाकर सलाह देंगे कि सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं लाभार्थी नियमित रूप से जिले, जनपद एवं ग्राम स्तर के कार्यालयों में बैठकर योजना के क्रियान्वयन संबंधी फीडबैक लें।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

ग्रामीण पेयजल मिशन द्वारा समुदाय एवं समुदाय आधारित संगठनों को मांग एवं प्रदाय की जा रही पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी का अधिकार दिया गया है। इन संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक छः माह में सामाजिक अंकेक्षण करें ताकि यह तय किया जा सके कि लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग / पंचायत के द्वारा किये गये काम तय दिशा-निर्देशों के अनुसार हुये हैं अथवा नहीं।

स्वच्छ भारत मिशन

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वच्छता कार्यक्रम को चलाने के लिये एक सहयोगी संस्था रख सकती है। समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह एवं स्वैच्छिक संगठन कार्यक्रम की निगरानी कर सकते हैं। ये स्वच्छता, सफाई एवं उसके रखरखाव हेतु व्यवहार एवं सोच में परिवर्तन को जानने एवं समझने के लिये मूल्यांकन एवं सर्वे भी कर सकते हैं। सहयोगी संगठन कार्यक्रम का सामाजिक अंकेक्षण भी कर सकते हैं।

समन्वित बाल विकास सेवायें

समन्वित बाल विकास सेवाओं का लगातार प्रयास है कि योजना की संरचना में आवश्यक बदलाव कर योजना को मजबूत किया जाये तथा गुणवत्ता में सुधार लाया जाये। इसके लिये केन्द्र सरकार के स्तर से आंगनबाड़ी केन्द्र के स्तर तक 5—स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा व्यवस्था बनाई गई है।

निगरानी व्यवस्था का पहला कदम आंगनबाड़ी केन्द्र के स्तर पर है मॉनीटरिंग एण्ड सपोर्ट कमेटी के माध्यम से निगरानी करने का प्रावधान है। इस समिति में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों, आशा कार्यकर्ता, महिला समूह सदस्य, समुदाय के लोग शामिल होते हैं। इस समिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संयोजक की भूमिका में काम करती है।

अभ्यास-१

१. सामाजिक अंकेक्षण से वया समझते हैं अपने शब्दों में वर्णन कीजिये ?

.....
.....
.....

२. किन-किन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया जा सकता है?

.....
.....

३. लगातार सामाजिक अंकेक्षण के वया फायदे हो सकते हैं अपने शब्दों में लिखें?

.....
.....
.....

४. परंपरागत वित्तीय आडिट और सामाजिक आडिट में मुख्य अंतर वया है ?

.....
.....
.....